

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास-वाणिज्य/2018 दिनांक 18.06.18 के द्वारा श्रीमती ऋतु सुत्रकार व्याख्याता- इतिहास का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटी कोलियान-जयपुर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा-भीलवाड़ा किया गया, जिसके विरुद्ध याची ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर अपील संख्या 2180/2018 श्रीमती ऋतु सुत्रकार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की, जिसके द्वारा स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने की गुहार की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किये जाने योग्य एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के निर्देश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर अपील संख्या 2180/2018 ऋतु सुत्रकार बनाम राज्य सरकार व अन्य में याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता पूर्वक अध्ययन, मनन किया गया। स्थानान्तरण विभाग की आवश्यकतानुसार किया गया। स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया। विभाग की आवश्यकता एवं छात्रहित प्रथम वरियता है। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः व्याख्याता का स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं भी किया जा सकता है।

याची की पारिवारिक परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए श्रीमती ऋतु सुत्रकार व्याख्याता- इतिहास का पूर्व में किया गया स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा-भीलवाड़ा अपास्त किया जाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुणियाबास-सांभरलेक- फुलेरा-जयपुर (08120500410) में पदस्थापित किया जाता है। उक्त श्रीमती ऋतु सुत्रकार व्याख्याता-इतिहास नवपदस्थापन स्थान पर दिनांक 27.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। सभी पक्षकार सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 21/8/18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/अपील अधि सं-2180/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबंधित शाला/संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. निजी/रक्षित पत्रायली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर